CHETANA
International Journal of Education

Impact Factor
SJIF=5.689

Peer Reviewed/
Refereed Journal

ISSN-Print-2231-3613
Online-2455-8729

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

Received on 24th Mar. 2021, Revised on 25th Mar. 2021, Accepted 30th Mar. 2021

शोधपत्र

कारागृह में कैदियों के समायोजन की प्रक्रिया का एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

* डॉ नरेन्द्र कुमार
सहायक आचार्य ए समाजशास्त्र
राजकीय कला महाविद्यालय ए सीकर (राज)
Email-narendrakrchahar@gmail.com, Mob. - 9414665727

बीज शब्द – समाजिकरण, विसमाजीकरण, पुनः समाजीकरण, विचलन, सजायाफ्ता केदी, सामाजिक मानदंड *आदि।*

सार संक्षेप

समाज के सभी नागरिकों का समाजीकरण समान प्रकार से नहीं होता है। जिन लोगों का सामाजिकरण बेहतर होता है वे समाज में अनुशासित जीवन जीते हैं परंतु बेहतर सामाजिकरण के अभाव में व्यक्ति सामाजिक मानदंडों से विचलन प्रदर्शित करता है। विचलन जब एक सीमा से अधिक होकर औपचारिक नियमों का उल्लंघन करने लग जाता है तो अपराध की श्रेणी में आता है। इस प्रकार का विचलन सामाजिक जीवन में बाधा खड़ी करता है। व्यक्ति के विचलनकारी व्यवहार पर नियन्त्रण करने तथा अन्य नागरिकों को संभावित हानि से बचाने व उनकी समाज विरोधी मनोवृतियों को नियंत्रित रखने के लिए आवश्यक है कि अपराधी को कोई न कोई दंड अवश्य दिया जाए। इसी क्रम में करागृह का विकास हुआ। कारागृह समाज में 'एक समाज' है। यह मुख्य समाज के भीतर भौगोलिक सीमाओं में बंधा समाज है। दार्शनिक दृष्टि से दंडात्मक व सुधारात्मक संस्था है। इसके अपने कुछ औपचारिक व अनौपचारिक नियम होते हैं जो शेष समाज से कुछ भिन्नता लिए होते हैं। उक्त भिन्नता नवीन सजायाफ्ता व्यक्ति को दवंद व असमंजस में डाल देता है।

प्रस्तावना

समय के साथ कैदी अपना समायोजन कर कारागृह के माहौल ढलता है। कैदियों के समायोजन की प्रक्रिया वास्तव में बंदीकरण)Prisonization) की प्रक्रिया है। कोई भी कैदी जब बाहर से कारागृह में प्रवेश करता है तो वह एक नवीन विश्व में प्रवेश करता है जहां उसे न तो कोई जानने वाला होता है और न ही कोई सहायता करने वाला। कैदी कारागृह में उन सभी प्रकार की संरचनात्मक सुविधाओं से भी पृथक हो जाता है जो उसे घर अथवा कारागृह के बाहर प्राप्त हो रही थी। इस प्रकार कैदी कारागृह में प्रवेश करते ही एक प्रकार के अलगाव का शिकार होता है। यह एक विसमाजीकरण)Desocialisation) की प्रक्रिया है। कारागृह में कैदी अन्य कैदियों को बाह्य समूह)Out Group) के रूप में परिभाषित करता है तथा उनके व्यवहार से स्वयं को पृथक रखने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप अपने अंतः समूह)In Group) में कैदी अकेला रह जाता है। यह अलगाव का चरम स्तर होता है। जो कैदी में नैराश्य उत्पन्न कर देता है। समय के साथ कैदी को जब यह निश्चित हो जाता है कि उसे यही जीवन गुजारना है तो वह शिक्षा, आयु, धर्म, जाति व क्षेत्रीय समानता के आधार पर समूह निर्माण प्रारम्भ करता है। वह समूह की अंतर क्रियाओं में शामिल होने लगता है वास्तव में यह प्रक्रिया कैदी के लिए पुन समाजीकरण)Resocialisation) की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित की जा सकती है।

बंदीकरण

कारागृह समुदाय वृहत समाज के छोटे अंग की तरह है। साइक्स ने कारागृह को 'सोसायटी ऑफ कैप्टिव्स कहा है जहां ने केवल औपचारिक नियमों का प्रभावी नियंत्रण होता है बल्कि कारागृह समुदाय के स्वयं के नियमों व मनदंडों को भी प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है। कैदियों के बीच विद्यमान विभिन्न प्रकार की असमानता के बावजूद कारागृह परिवेश सभी कैदियों को आपस में संबद्ध कर देता है। वास्तव में कारागृह आईचारा वह पक्ष है जो सभी कैदियों को आपस में संबद्ध करने हेतु पर्याप्त मानसिक समानता प्रदान करता है। सभी बंदी समय के साथ धीरेधीरे एक जटिल संबंधों के जाल में बघते चले - जाते हैं।डोनाल्ड क्लेमर ने लिखा है की बदीकरण की प्रक्रिया में पश्चाताप व इससे संबंधित कुछ लोकाचार, रूठियां, रीतियां तथा उनकी सामान्य संस्कृति सम्मिलित होती है। क्लियर का मत है कि जो व्यक्ति पश्चाताप की प्रक्रिया से संबंध होता है वह किस ने किसी स्तर तक बंदीकरण से भी संबंध होता है। मोरिस व मोरिस ने प्रिजनाइजेशन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि बंदीकरण कारावास के अनुभव के फलस्वरूप अस्तित्व में आया सतत व व्यवस्थित मनोवैज्ञानिक क्षरण है तथा व्यवहार में ऐसे नवीन आयामों का समावेश है जिन्हें कारागृह से बाहर के विश्व में स्वीकार नहीं किया जाता है लेकिन जो कारागृह प्रवास के दौरान व्यक्ति की विभिन्न क्रियाओं व भूमिकाओं को आसान बना देता है। उन्होंने बंदीकरण को सस्थायीकरण से भिन्न बताते हुए लिखा है कि वास्तव में बंदीकरण वह प्रघटना है जिसमें समायोजन होते हुए भी व्याधिकीय पक्ष शामिल है जिसके अंतर्गत व्यक्ति नवीन व्यक्तित्व सबंध आयाम तथा व्यवहार के नवीन मानदंडों को स्वीकार करता है जो कारागृह जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। अपराधी की बंदीकरण की प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया है जिस प्रकार व समाजीकरण की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक वयस्क व्यक्ति को नवीन सामाजिक संगठन में प्रविष्ट कराया

जाता है। यह एक प्रकार का ऐसा बंधन है जिसमें महत्वपूर्ण अन्य)significant others) से संपर्क स्थापित कर व्यक्ति स्वयं में एक प्रभावकारी बदलाव लाता है।

कारागृह में कैदियों के बंदीकरण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण कारावास की अनौपचारिक सामाजिक प्रणाली है। यह अनौपचारिक सामाजिक प्रणाली उनको वहां की मूल्य प्रणाली, विश्वास व्यवस्था तथा कैदियों दवारा की गई अपेक्षाओं से परिचित कराती है तथा उनका अनुसरण करने व अपने आप उनसे जोड़ने के लिए प्रेरित करती है। कारागृह में कैदियों के समूह द्वारा एक व्यवहार प्रणाली तथा आचार संहिता का निर्माण कर लिया जाता है जिसका पालन करना सभी कैदियों के लिए अनिवार्य होता है। यद्यपि यह सहिता लिखित नहीं होती है परंतु स्पष्ट होती है। इसमें यह स्पष्ट होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस आचार संहिता में साथियों के साथ वफादारी के साथसाथ स्वार्थमुक्त-, पारस्परिक विश्वास, बहादुरी व आत्म संतुष्टि परक व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। इस प्रकार ये क्रियाएं कैदी को अपने को त्यागने वाले को त्यागने हेतु सशक्त बनाती है जिसके फलस्वरूप कैदी उन विघटनकारी मनोवैज्ञानिक पक्षों से स्वयं को मुक्त कर लेता है जो बाह्य मुख्य समाज से पृथक व बहिष्कृत होने के कारण उत्पन्न होते हैं। शोधकर्ताओं ने बंदीकरण की प्रक्रिया के अधिक प्रभावी व सशक्त होने से बंदियों के मनोविज्ञान पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन के दौरान पाया कि बंदियों के गलत वर्गीकरण से अच्छे व बरे कैदियों को साथ साथ रखने के परिणामस्वरूप नए तथा अच्छे कैदियों में भी आपराधिक प्रवृत्तियों व समाज विरोधी प्रवृत्तियों का विकास होने लगता है। अभ्यस्त तथा परिस्थिति जन्य अपराधियों के आपस में स्वच्छतापूर्वक और बिना रुकावट के मिलने की सुविधा नवीन अभ्यस्त कैदियों को निर्मित करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। नवीन आगंतुक जैसे ही पुराने कैदियों के संपर्क में आते हैं वे जल्दी ही वहां के मूल्य और प्रतिमान सीख लेते हैं। वास्तव में बंदीकरण इस अबाधित सम्मिलन का परिणाम है। कारागृह में अवकाश के समय का सृजनात्मक गतिविधियों में न लगाना एक दूसरा कारक है जो बंदीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करता है वहीं विसमाजीकरण की प्रक्रिया को भी सुविधाजनक बनाता है। जहां तक बंदियों के बंदीकरण के स्तर तथा श्रेणी का विषय है उनके बारे में शोधार्थियों का मत है कि क्लैमर का बंदीकरण की उच्च व निम्न संभावनाओं का दायरा सही है। आजीवन कारावास प्राप्त बंदियों में बढ़ीकरण उन कैदियों से अधिक होता है जिन्हें कम सजा प्राप्त हुई है। उनका मत है कि जैसेजैसे कारागृह से मुक्ति के दिन नजदीक आते जाते है कैदी अपने उन - साथियों से अपनी पहचान समाप्त करने लगता है जिन्होंने उसे यह सिखाया था कि कारागृह उनका अस्थायी पर है।

कारागृह में पैंटी को अनेको प्रकार से समायोजन करना पड़ता है। वह उस सुविधाओं में भी चित रह जाता है जो उसे बाह्य समाज में मिल रही थी। संरचनात्मक सुविधाओं का अभाव कैदी में जीवन के प्रति निराशा भर देती है परंतु कैदी जल्दी ही अपने साथियों से प्रेरणा लेकर इससे उबर जाता है। कैदी को कारागृह में यौन सुख से भी वंचित रहना पड़ता है। यौनसुख से वंचना कैदी को यौन निराशा व अप्राकृतिक यौन संबंधों की और पर्कल देता है। इस प्रकार समर्थ पुरुषत्व पर बाध्यतामुलक ब्रह्मचर्य से शारीरिक व मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न होती है जो अनेक अनैतिक समस्याओं को पैदा करती है। संतानीत्पति से वंचित रहने के कारण कैदी को प्रायोजित नपुंसकता जैसी मनोवैज्ञानिक विफलता का भी सामना करना पड़ता है। यद्यपि इस प्रकार स्पष्ट है कि कैदी कारागृह में अनेक प्रकार के दंड भुगतता है। उन सभी दंड़ी के संदर्भ में उसे

समयोजन करना पड़ता है। कारागृह में एकतामूलक व विभाजनकारी दोनों प्रकार के सामाजिक प्रक्रियाएं जहां एक तरफ बंदियों में देखने को मिलती है वही कारागृह अधिकारियों में भी देखने को मिलती है। जहाँ सहयोगमूलक, समायोजनमूलक तथा सात्मीकरणमूलक प्रक्रियाएं विभिन्न प्रकार के विरोधाभासी तथा विषमताओं के होते हुए भी संपूर्ण बंदी समुदाय को एक कमजोर एकतामूलक समय में तब्दील करती है वहीं विभिन्न विभाजनमूलक प्रक्रियाएं जैसे प्रतिस्पधी कारागृह समुदाय को विभिन्न समूह, गुटों व गंगों में विभाजित करती है। इन विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं की गतिकी का विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि व्यक्तिवाद तथा स्वार्थवाद होने के बावजूद भी कारागृह में विभिन्न मुद्दों पर कैदियों के कैदियों में समान प्रकार की चिंता पाई जाती है जिसके फलस्वरूप कैदियों के मध्य एकला तथा सहयोग अस्तित्व में आता है।त्मक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि कारागृह में ऐसे अवसर पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहते हैं जब कैदियों में परस्पर विरोध उभरते हैं तथा झगड़े प्रारंभ होते हैं। परिणामस्वरूप कारागृह परस्पर विरुद्ध व्यक्तियों के कैंप के रूप में नजर आता है जिसके सदस्य एक दूसरे से संघर्ष और प्रतिस्पर्धा करते हैं। कैदियों के मध्य हितों और अन्य लक्ष्यों में समानता और असमानता ऐसी क्रियाएं है जो व्यक्तिवाद व समूहवाद दोनों को अभिव्यक्त करते हैं। कारागृह जीवन के विभिन्न अनुभव एवं कष्टों को साथ साथ बांटने की प्रक्रिया कैदियों को परस्पर निकट लाती है • जिसके फलस्वरूप हम की भावना विकसित होते हुए बंदी समुदाय अस्तित्व में आता है यह प्रक्रिया एकतामूलक प्रक्रिया है जिसमें सहयोग, सतमीकरण और समायोजन महत्वपूर्ण है। कारागृह में विभिन्न प्रकार के सहयोगात्मक उदयमों के अंतर्गत अनेक प्रकार की अवैध गतिविधिया भी अस्तित्व में आती है जैसे समलैंगिकता, जुआ, मादक पदार्थों का सेवन तथा कारागृह में प्रतिबंधित वस्तुओं की फुटकर बिक्री वे ऐसे कारक है जो विभिन्न कैदियों को निकट लाकर समूह के रूप में स्थापित करते हैं तथा आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं।

कारागृह में संघर्ष दो स्तरों पर देखने को मिलता है)1) कैदियों के मुद्दे व)ii) कैदियों तथा कारागृह कर्मचारियों के मध्य कारागृह में कैदियों के मध्य का संघर्ष वास्तव में विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं का परिणाम होता है जो अंत में संघर्ष में बदल जाता है। यहां विभिन्न सुविधाओं की प्राप्ति तथा कारागृह कर्मचारियों के समर्थन हेतु प्रतिस्पर्धा होती है। प्रायः कारागृह में विभिन्न वरिष्ठ कैदी प्रशासनिक कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने हेतु परस्पर अनेक प्रकार की तरकीबों का सहारा लेते हैं जो परिणाम के रूप में झगड़े व मनमुटाव को पैदा करते हैं। सेनफोर्ड बेट्स ने अपने अध्ययन में पाया कि कैदी परस्पर वफादार होते है। सैनफोर्ड बेट्स का यह कथन यद्यपि एक समूह के कैदियों तथा समान कार्य करनेवाले कैदियों में देखा जा सकता है परंतु वे कैदी जो कारागृह प्रशासन की कार्यप्रणाली से संबद्ध है उनकी वफादारी कारागृह प्रशासन के प्रति होती है। ऐसे कैदी अन्य कैदियों को कारागृह कर्मचारियों की ही तरह निर्देशित करते हैं व सामाजिक दूरी बरतते हैं। हिंगिस का मत है कि कारागृह में कैदी वास्तव में समूह वफादारी के कारण एक दूसरे से बंधे होते हैं। वास्तव में उनमें वह भावनात्मक पक्ष मौजूद नहीं होता जिनके आधार पर अन्य समूहों में मानवीय संबंधों का विकास होता है।

कैदियों के समायोजन को आसान बनाने के लिए पैरोल प्रोबेशन व खुली जेल जैसी कैदी हितैषी प्रणाली भी पाई जाती है। कारागृह के सीमित परिवेश में एक लंबी अवधि कैदी के लिए अत्यंत थका देने वाली होती है। जिसके फलस्वरूप कैदी में अनेक प्रकार की मानसिक व शारीरिक व्याधियों उत्पन्न होने लगती है। अपने सभी संबंधियों और नातेदार उसे लंबी

पृथकता कैदी के जीवन को नीरस बना देती है। जिससे व्यवहार में अनेक असामान्यताएं उत्पन्न होने लगती है। इस प्रकार की असमान्यताओं को नियंत्रित करने के लिए कैदी के लिए आवश्यक है कि वह समयसमय पर अपने पारिवारिक - सामाजिक विश्व में सम्मिलित होता रहे। इसीलिए पैरोल व प्रोवेशन की अवधारणा अस्तित्व में आई। खुली जेल की अवधारणा भी एक निश्चित सजा भुगत चुके कैदियों को अपने परिवारजनों के साथ रहने या निरंतर सम्पर्क बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका कानिर्वहन करती है। न्यायालयों ने अब यह स्वीकार कर लिया है कि संतानोत्पति कैदी का अधिकार है उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः संतानोत्पति के लिए कैदी को पैरोल पर रिहा किया जाना चाहिए। इसी तरह कैदी को नियमित रूप से अपने परिवारजनों से टेलीफोन से संपर्क रखने को भी महत्वपूर्ण माना जाने लगा है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कैदियों का समाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है। कारागृह में आगमन के समय कैदी एक नवीन सामाजिक संरचना का हिस्सा बनता है उसे एक नवीन व्यवस्था का हिस्सा बनाना होता है। हिस्सा बनने की यह प्रक्रिय समायोजन है।

संदर्भ ग्रंथ

1. येशम एम. साइक्स: दी सोसायटी ऑफ कैप्टिव्स प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1958

2. डोनाल्ड क्लेमर: दी पिजन कम्युनिटी क्रिस्टोफर पब्लिशिंग हाउस, 1940

3. टेरस मॉरिस एवम् पॉलिन मॉरिस :दी एक्सपीरियंस ऑफ इंप्रिजनमेंट, ब्रिटिश जर्नल क्रिमिनोलॉजी, वॉल्यूम ॥ 1982

4. बेट्स सैनफोर्डप्रीजन एंड बियोंड :, दी मैकमिलन कंपनी, न्यूयॉर्क।

*** Corresponding Author**
डॉ नरेन्द्र कुमार
सहायक आचार्य, समाजशास्त्र
राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर (राज)
Email-narendrakrchahar@gmail.com, Mob. - 9414665727